राजस्व लोक अदालत केम्प थोब तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न077/2018 77/10

वादीगण :– 1 हेमाराम पुत्र हरजीराम कौम चौधरी निवासी रैवाडा जैतमल

2018/01050

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हरजीराम पुत्र अम्बाराम
2. वक्ताराम पुत्र हरजीराम
3. नारायणराम पुत्र हरजीराम
4. रूपाराम पुत्र हरजीराम
5. रामाराम पुत्र हरजीराम
6. गजरोदेवी पुत्री हरजीराम
7. रेखादेवी पुत्री हरजीराम
8. तहसीलदार पचपदरा जरिये राजस्थान सरकार

88 आर.टी.ए दावा बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक:–23.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय थोब प्रस्तुत की गई

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम रैवाडा जेतमाल ख0न0 176/43 रकवा 42 बीघा, रैवाडा बारटान ख0न0 16 रकवा 15 बीघा, ख0न0 53 रकवा 40.14, रेवाडा आसीया ख0न0 146/78 रकबा 44.05 बीघा, रेवाडा सोढा के ख0न0 43 रकवा 8.13 बीघा, पटाऊ कला के ख0न0 116 रकबा 13.16 बीघा में वादी के पिता हरजी उफ हरू के नाम की खातेदारी भूमि आयी हुई है। दोनो पक्षकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता है, सभी भाई अलग अलग मौके पर बंटवाडा कर खेती कर रहे है। दोनो पक्षकारन ने आपसी सहमती राजीनामा से अपने पिता हरजीराम के जीवनकाल मे ही अपना अपने नाम की भूमि करवाना चाहते है। अतः उक्त आशय का वाद पत्र पेश कर दोनो पक्षकाराने ने अपना अपना नाम की भूमि सहखातेदार में दर्ज करने जिसको निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादी द्वारा पेश वाद के साथ के प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दरतावेज, जमाबंदी रेवाडा जेतवाल, रेवाडा बारठान, रेवाडा आसिया, रेवाडा सोढा, पटाऊ कला, व आधार कार्ड व पटवारी रैवाडा/आर0आई0 थोब व उपस्थित गवाह कमशः हेमाराम, वगताराम, हरजीराम, के ब्यानो की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम रैवाडा जेतमाल ख0न0 176/43

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2013
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner

रकबा 42 बीघा, रैवाडा बारटान ख0न0 16 रकबा 15 बीघा, ख0न0 53 रकबा 40.14, रेवाडा आसीया ख0न0 146/78 रकबा 44.05 बीघा, रेवाडा सोढा के ख0न0 43 रकबा 8.13 बीघा, पटाऊ कला के ख0न0 116 रकबा 13.16 बीघामे वादी के पिता हरजी उर्फ हरू के नाम की खातेदारी भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के पिता हरजीराम के पांच पुत्र एवं दो पुत्रिया है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर हेमाराम भगताराम नारायणराम, कृपाराम, रामाराम पुत्र हरजीराम, गजरोदेवी, रेखादेवी पुत्रीया हरजीराम को खातेदार घोषित किया जाता है। एव तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है ग्राम रेवाडा जेतमाल ख0न0 176/43 रकबा 42 बीघा, रैवाडा बारटान ख0न0 16 रकबा 15 बीघा, ख0न0 53 रकबा 40.14, रेवाडा आसीया ख0न0 146/78 रकबा 44.05 बीघा, रेवाडा सोढा के ख0न0 43 रकबा 8.13 बीघा, पटाऊ कला के ख0न0 116 रकबा 13.16 बीघा में नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2012
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज कुमार चौधरी RAS

हेमाराम उनवान बनाम हरजीराम वगैरह

दावा बाबत धारा 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :– 77/2018

निर्णय दिनांक :– 23-05-2018

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-05-18 को श्री मनोज कुमार चौधरी RAS (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर हेमाराम, बगताराम, नाथमाराम, जगमालराम, राणाराम पिसरान हरजीराम, नैनी देवी, रुखा देवी पुत्रियान हरजीराम, हरजीराम पुत्र जगमालराम को खातेदार घोषित किया जाता है। [illegible] का आदेश दिया जाता है। ग्राम [illegible] ख.न. 176/43 रकबा 42 बीघा, ग्राम [illegible] ख.न. 16 रकबा 15 बीघा, ख.न. 53 रकबा 40.14, ग्राम [illegible] ख.न. 146/78 रकबा 44.05, [illegible] ख.न. 43 रकबा 8.13, ग्राम [illegible] ख.न. 115 रकबा 13.16 बीघा में नाम दर्ज करने के आदेश जारी हों।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23-5-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( )

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा

Scanned by CamScanner